राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–सुश्री महिमा कसाना, आई.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 52/2023
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2023/159
दायर दिनांक– 31.08.2023
निर्णय दिनांक– 08.11.2024

1. संतोष देवी पत्नि रामनिवास जाति ब्राहमण नि0 मकराना तह0 मकराना जिला डीडवाना कुचामन
.....प्रार्थी

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत रूपनगढ़ जिला अजमेर
2. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रूपनगढ़ अजमेर
3. तहसीलदार ,रूपनगढ़
4. नायब तहसीलदार रूपनगढ़
5. पटवारी पटवार हल्का रूपनगढ़
6. चन्दादेवी पुत्री कन्हैयालाल पत्नि अशोक जाति ब्राहमण नि0 बड़ी खादू तह0 डिडवाना जिला नागौर
....अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–:1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी, अधि0 प्रार्थी
2 गौरीशंकर वियाणी अधि0 अप्रार्थी संख्या 6

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने मजबूत विनाय पर व ठोस आधारों पर उक्त उनवान की अपील माननीय न्यायालय में पेश की है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी संभावना है। ग्राम रूपनगढ़ की राजस्व सीमा में स्थित ख0न0 532, 533, 540, 541 कुल खसरा 4 कुल रकबा 1.6988 है0 स्थित है जिसमें जरिये वसीयत प्रार्थी का 1/6 हिस्सा आया हुआ है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का दिनांक 27.1.2019 को निष्पादित वसियतनामा जो वसियतकर्ता मनोहर देवी पत्नि स्व0 श्री कन्हैयालाल जाति ब्राहमण निवासी रूपनगढ़ जिला अजमेर ने मुझ प्रार्थी के हक में विरासत से प्राप्त 1/6 हिस्सा जो वसियतकर्ता मनोहरी देवी का था उक्त सम्पूर्ण हिस्सा की वसियत मुझ प्रार्थी के पक्ष में बरूबरू मोतबिरान निष्पादित कर दी थी। वक्त वसीयत अप्रार्थी संख्या 6 चन्दा देवी भी मौजूद थी उसके भी वसियतनामा पर हस्ताक्षर किये हुये है। अप्रार्थी संख्या 6 चन्दा देवी को बखूबी जानकारी होते हुये भी बिना किसी विधिक अधिकार के मनोहर देवी का नामान्तरकरण गुपचुप तरीके से नामान्तरकरण संख्या 7144 दिनांक 20.7.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से मिलीभगत कर पारित करवा लिया था जो प्रारम्भ से ही शुन्य है क्योकि अप्रार्थी संख्या 6 को पता था कि मेरी माता मनोहर देवी ने दिनांक 27.1.2019 को बमोजूदगी चन्दा देवी वसियत कर दी थी उसी दिन चन्दा देवी का मनोहरी देवी की सम्पति में कानूनन अधिकार समाप्त हो चुका था। खुद अप्रार्थी संख्या 6 के संज्ञान में होते हुए भी अप्रार्थी संख्या 6 चन्दा देवी ने मुझे प्रार्थी को बिना बताये गुपचुप तरीके से उक्त नामान्तरकरण भरवा लिया था। उक्त नामान्तरकरण को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित कर दिया जो प्रार्थी के हक हिस्से 1/6 तक खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने अपनी वसियत पटवार हल्का रूपनगढ़ को नामान्तरकरण भरने हेतु कहा तो पटवार हल्का रूपनगढ़ ने बताया कि इस वक्त मनोहर देवी के नाम ख0न0 532, 533, 540, 541 में भूमि नही है। मनोहर देवी के हिस्सा का नामान्तरकरण चन्दा देवी ने अपने नाम करवा लिया है तब मैने नकल लेने पर पता चला कि गुपचुप तरीके से चन्दा देवी ने मेरे हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम करवा लिया है जो विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। नकल दिनांक 23.8.2023 को प्राप्त होने पर अपील अन्दर मियाद पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थी के उक्त आराजियात में 1/3 हिस्से में से 1/6 हिस्सा वसियतकर्ता के हक हिस्से अनुसार नामान्तरकरण संख्या 7144 दिनांक 20.7.2023 खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी उक्त आराजी में 1/6 हिस्से की हक हिस्सेदार वसियत अनुसार है इस कारण चन्दा देवी के नाम भरा गया नामान्तरकरण 7144 दिनांक 20.7.2023 खारिज फरमाया जाकर प्रार्थी के नाम विधि अनुसार नामान्तरकरण भरवाने के आदेश करवाने की प्रार्थी अधिकारी है। प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि वादग्रस्त खसरा नम्बर में गलत नामान्तरकरण के आधार पर अप्रार्थी संख्या 6 उक्त आराजी के बैचान, रहन, बक्सीस, या अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण नहीं करे अगर किसी भी प्रकार का दस्तावेज अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के समक्ष पेश होने पर पंजीयन नहीं करे। अप्रार्थी मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टंर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 व 5 की ओर से प्रकरण में जवाव प्रस्तुत नहीं करने पर उनका जवाब बंद किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 ने अपने जवाब में कथन किया कि ग्राम पंचायत रूपनगढ़ द्वारा नामान्तरकरण संख्या 7144 दिनांक 20.7.2023 दर्ज किया गया है जो कि सही है। माता मनोहरी देवी की चन्दा देवी विधि वारिसान है तथा मनोहरी देवी की मृत्यु के पश्चात एक मात्र वारिस अप्रार्थी संख्या 6 चंदा देवी पुत्री कन्हैयालाल ही है इसके अलावा अन्य कोई जाईन्दा वारिसान नहीं है। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील अन्तर्गत धारा 75 के साथ पेश नहीं किया जा सकता है इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने योग्य है। वसीयत मनोहरी देवी ने की है तो इस अपील को सुनने का अधिकार सिविल न्यायालय को है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। अप्रार्थी संख्या 3 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी उक्त आराजी में 1/6 हिस्से की हक हिस्सेदारी वसियत अनुसार है इस कारण चन्दा देवी के नाम भरा गया नामान्तरकरण 7144 दिनांक 20.7.2023 को खारिज फरमाया जाकर प्रार्थी के नाम विधि अनुसार नामान्तरकरण भरवाने के आदेश फरमावें। वकील अप्रार्थी संख्या 6 ने अपनी बहस में जवाब के कथन का दोहरान करते हुये निवेदन कि किया उक्त प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होते है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

(आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)